



आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर
 OFFICE OF THE COMMISSIONER CENTRAL G.S.T. & CENTRAL EXCISE,
 GANDHINAGAR
 सीमा-शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
 CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, AHMEDABAD-380009
 Ph. 079-27542195, Fax: 27543676



व्यापार सूचना स 31/2017/जी.एस.टी.

Trade Notice No. 31/2017/ GST

विषय: केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र, अधिसूचना/ अधिसूचनाओं का प्रेषण ।

The below listed Notifications/Circulars/Orders issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (CBEC) is enclosed herewith for information and guidance of the trade and field formation. The Notifications/Circulars are self-explanatory.

इसके साथ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्र/ आदेश की प्रतियां व्यापारियों व क्षेत्रीय संगठनों एवं संबंधित मंडल कार्यालयों, निर्धारण परिक्षेत्रों, मुख्यालय अनुभागों की जानकारी, मार्गदर्शन एवं आवश्यक उचित कार्यवाही तथा कार्यान्वयन के लिए संलग्न की जाती है

क्रम	अधिसूचना / परिपत्र सख्या	दिनांक	फ़ा सख्या
1	51/2017-Central Tax	28.10.2017	349/58/2017-GST(Pt.II)
2	52/2017-Central Tax	28.10.2017	349/58/2017-GST(Pt.II)
3	53/2017-Central Tax	28.10.2017	349/58/2017-GST(Pt.II)
4	54/2017-Central Tax	30.10.2017	349/74/2017-GST(Pt.)
5.	42/2017- Integrated Tax (Rate)	27.10.2017	354/221/2017- TRU
6.	Circular-12/12/2017- GST	26.10.2017	354/117/2017- TRU(Pt.III)
7.	Circular-13/13/2017- GST	27.10.2017	354/129/2017- TRU
8.	Order- 05/2017-GST	28.10.2017	349/58/2017-GST
9.	Order- 06/2017-GST	28.10.2017	349/58/2017-GST
10.	Order- 07/2017-GST	28.10.2017	349/58/2017-GST
11.	Order- 08/2017-GST	28.10.2017	349/58/2017-GST

अधिसूचना/परिपत्र स्वतः स्पष्ट है।

All Trade Associations / Chamber of Commerce and the Members of the RAC / PGC are requested to bring this to the notice of their members / constituents.

सभी व्यापार सघ / वाणिज्य मूण्डल ओर क्षेत्रीय सलाहकार समिति / लोक शिकायत समिति के सदस्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इसे अपने सदस्यों / विनिमाताओ के ध्यान में ला दें ।

All JDC/JAC of CGST & C.Ex., Gandhinagar are directed to bring this to the notice of all officers under their charge.

सभी उप आयुक्त / सहायक आयुक्त, केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर को निदेश दिये जाते हे कि वे अपने प्रभार के सभी अधीनस्थ परिक्षेत्र अधिकारियों के ध्यान में ला दे।

अमित सिंगल
07.11.17

संयुक्त आयुक्त

केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

गांधीनगर

दिनांक : 01.11.2017

फा.सं. IV / 16-21 / MP / 2017-TN